| क्रमांक | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | पत्रावली पेश हुई।<br>प्रार्थी अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण मूल रूप से ग्राम झणकली, पटवार मण्डल–झणकली, तह0 गडरारोड के खेत खसरा नम्बर 382 रकबा 28.06 बीघा (4.5810 हैक्टेयर) की आई हुई है जो भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 की संयुक्त पैतृक भूमि है जो प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पूर्व पुरूष स्व. जेठूदान से प्राप्त हुई है। वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष/दादा जेठूदान व उनके भाई अम्बादान व कौशलदान पिसरान मोहब्बत दान के नाम वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 382 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 198, 344, 355, 377, 352, 385, 386, 422, 437, 439, 440, 446, 450, 451, 454 व 455 की भूमि सेटलमेन्ट में संयुक्त रूप से दर्ज हुई थी जिसमें जेठूदान का 1/3 हिस्सा था और सेटलमेन्ट के पश्चात् प्रार्थीगण के दादा जेठूदान व उनके भाईयों अम्बादान व कुशलदान पारिवारिक सहमति से हुए बंटवारे के आधार पर जमीन विभाजित कर दी थी। जहां जेठूदान के जीवनकाल में जेठूदान के वारिसान में भीखदान, बख्तावर दान व भगदान थे और उन्होने भी अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण खसरान की भूमि में पारिवारिक विभाजन कर दिया था जिस कारण भीखदान के हिस्से में खसरा नम्बर 355, 382 व 600 की भूमि आई जहां प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त रूप से पैतृक हिस्सा है और भीखदान के जायंदा वारिस में 4 पुत्र व 4 पुत्रिया है जिस कारण खसरा नम्बर 382 में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा पैतृक रूप से बनता है और इसी अनुरूप अप्रार्थी संख्या 1 का भी 1/9 हिस्सा पैतृक रूप से है। प्रार्थीगण अपने 1/9–1/9 हिस्से पर काबिज है और प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणियां, पशु बाडे, टांके इत्यादि बने हुए है। अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 382 प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 के बदादा को अपने पूर्व पुरूष जेठूदान से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस कारण वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 382 में प्रार्थीगण जेठूदान के पौत्र/पौत्री होने के नाते प्रार्थीगण का हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8, 9 के तहत जन्म से ही निहित हो गया है और प्रार्थीगण आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुए पारिवारिक बंटवारे में खसरा नम्बर 382 रकबा 26.6 बीघा में अपने | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:53 IST
Reason: SelfAttested

महाप्रबंधक गडरारोड

1/9–1/9 हिस्से पर काबिज हो गए है और काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 382 रकबा 28.06 बीघा जब पारिवाकि बंटवारे में विप्रार्थी संख्या 1 भीखदान को प्राप्त हुई और राजस्व रेकर्ड मे भीखदान का नाम इन्द्राज किया गया लेकिन विप्रार्थी संख्या 1 जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है का अनुचित फायदा उठाकर विप्रार्थी संख्या 2 जो प्रार्थीगण के गांव का स्थाई निवासी नहीं है ने गांव के कुछ भूमाफिया लोगों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण के पिता के मानसिक अस्वस्थता का अनुचित फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 382 रकबा 28.06 बीघ एक गलत बेचान दिनांक 20.09.2013 को अपने नाम करवा दिया, जिसकी जानकारी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को नहीं होने दी और बेचान दिनांक 20.09.2013 के आधार पर विप्रार्थी संख्या 2 ने नामान्तकरण 824 स्वीकृत करवाकर खसरा नम्बर 382 रकबा 28.06 बीघा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम करवा दी, जिसकी भी जानकारी विप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण को नहीं होने दी, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी 382 के सम्पूर्ण रकबे का जो बेचान दिनांक 20.09.2013 को अपने नाम करवाया है वह बेचान करने का अधिकार विप्रार्थी संख्या 1 को नहीं था क्यों कि वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि न होकर पैतृक भूमि है जिसमें विप्रार्थी संख्या 1 को अपना 1/9 पैतृक हिस्सा ही बेचान करने का विधि सम्मत अधिकार था लेकिन विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने 1/9 हिस्से से अधिक सम्पूर्ण रकबा 28.06 बीघा का गलत बेचान विप्रार्थी संख्या 2 को करवा दिया और अब उक्त बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी संख्या 2प्रार्थीगण के पैतृक कब्जे काश्त में दखलंदाजी व हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थी संख्या 2 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसकी पूर्ति भविष्य मे मुद्रा द्वारा नहीं की जा सकेगी, इसके विपरीत विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:53 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता [illegible] थानेवाल ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को [illegible] हुए कथन किया कि ग्राम–झणकली, पटवार मण्डल–झणकली तह0 ग[illegible]ड़ के खेत खसरा नम्बर 382 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 198, 344, 355, 377, 352, 385, 386, 422, 437, 439, 440, 446, 450, 451, 454 व 455 की भूमि सेटलमेन्ट में संयुक्त रूप से दर्ज हुई थी जिसमें स्व. जेठूदान का 1/3

सहायक कलक्टर गडरारोड

हिस्सा था और सेटलमेन्ट के पश्चात् प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष स्व. जेठूदान व उनके भाईयों में मध्य पारिवारिक सहमति से हुए बंटवारे के आधार पर जमीन विभाजित कर दी थी। उसके पश्चात् स्व. जेठूदान के देहांत हो जाने पर उपरोक्त विभाजित आराजीयात् स्व. जेठूदान के वारिसान भीखदान, बख्तावर दान व भगदान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जिसका भीखदान, बख्तावर दान व भगदान ने भी उपरोक्त विभाजित आराजीयात् का पारिवारिक विभाजन कर दिया गया जिसमें भीखदान के हिस्से में खसरा नम्बर 355, 382 व 600 की भूमि आई जिसमें प्रार्थीगण का भी विप्रार्थी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से पैतृक खातेदारी हिस्सा बनता है इसके जवाब में निवेदन है कि पैतृक संपति वो संपति होती है जो चार पिढ़ि पुरानी हो और पिछली तीन पिढियों द्वारा उस संपति में बंटवारा/विभाजन नहीं होना आवश्यक है अगर पैतृक संपति में एक बार बंटवारा/विभाजन हो जाता है तो वह संपति पैतृक संपति नहीं होकर स्व अर्जित संपति कहलाती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को पैतृक संपति मानते हुए हस्तगत प्रकरण पेश किया हैं तथा उक्त राजस्व आवेदन में यह स्वीकार किया हैं कि वादग्रस्त आराजी व अन्य भूमि पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज स्व. जेठूदान एवं उनके भाईयों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा पारिवारिक विभाजन के तहत विभाजित करवा दिया गया तथा बाद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज स्व. जेठूदान के देहांत होने पर उक्त वादग्रस्त आराजी एवं अन्य भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं उपके भाईयों द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी एवं अन्य का पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन के तहत अपने खातेदारी हिस्से में दर्ज हुई भूमि का पुनः पारिवारिक विभाजन किया गया जिसमें प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी संख्सा 1 के खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 355, 382 व 600 की भूमि दर्ज हुई इसलिए जब उक्त वादग्रस्त आराजी व अन्य भूमि का पिढी दर पिढी लगातार होता आया होने से उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक संपति नहीं होकर विप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित संपति थी इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का पैतृक के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार नहीं बनता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का पूर्ण स्वामित्व एवं आधित्य के आधार पर ही परिवार का कर्ता खानदान की हैसियत से अपने संयुक्त परिवार की आवश्यकताओं एवं अन्य घरेलु खर्चो की पूर्ति के लिए पैसो की आवश्यकता होने पर ही विप्रार्थी संख्या 2 को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर मौके पर विप्रार्थी

सहायक कलक्टर गडरारोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2020.02.18 10:18:53 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था जो कि विधिवत् बेचान होने की पुष्टि विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टात उमानन्दसिंह वगैरा बनाम शंकरलाल वगैरा 2024(2) डी.एन.जे.(रेवेन्यू) 1024 तथा उतम बनाम सुनायसिंह वगैरा से होती है। इसलिए किसी भी बेचान दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से यह राजस्व आवेदन क्षेत्राधिकार विहिन है इसलिए प्रथम दृष्टया जब तक सिविल न्यायालय द्वारा उक्त बेचान दस्तावेजात को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित नहीं कर दिया जाता तब उक्त प्रकरण इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार विहिन होने से चलने योग्य नहीं है तथा वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने एवं मौके पर वक्त क्रय से आज दिन तक निरंतर कब्जा काश्त के काबिज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीगण की बजाय विप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रमाणित होने से यह राजस्व आवेदन खारीय फरमाई जावें।

1.प्रथम दृष्टया मामला :– वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की है जिसका विप्रार्थी संख्या 2 रेकर्डेड खातेदार है एवं उक्त आराजी पर कब्जा काश्त के काबिज होने से प्राथम दृष्टया मामला प्रार्थी की बजाय विप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष मे प्रमाणित होता है।

2.सुविधा का संतुलन :– विवादित आराजी के वक्त सेटलमेन्ट में रेकर्डेड खातेदार केवल विप्रार्थीगण ही होने से तथा मौके पर कब्जा काश्त विप्रार्थीगण का ही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होना पाया जाता है।

3.अपूर्णीय क्षति :– कि प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार नही होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नही से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होना पाया जाता है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। ऐसी [illegible] में प्रार्थीगण के पक्ष एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] 31.10.20[illegible] को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। जिसे [illegible] जाना उचित प्रतित नही होने से प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2025 को निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
गढ़रोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:53 IST
Reason: SelfAttested